

वकील श्री राजू मैरोडा ने पेश किया।

1. वाद अन्दर मियाद पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रवणाधिकार का है।
3. नियमानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद पत्र की प्रतियां वाद के साथ संलग्न है।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. तलवाना उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिस के साथ वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
8. पर्याप्त वाद हेतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर रीडर

रिपोर्ट सरिस्ता देखी गयी। वादी वकील उपस्थित है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली कारसे जवाब दिनांक 11-8-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

11/8/25 पत्रावली पेश हु। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक कार्यों कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आदालत से अधिकारी मनोहरथाना/अन्य राजस्व कार्य प्रपण/अवकाश में पत्रावली से पत्रावली दिनांक 21-10-25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

9/12/25 पत्रावली पेश हु। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक कार्यों कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आदालत से अधिकारी महोदय बुनाव/अन्य राजस्व कार्य प्रपण/अवकाश में पत्रावली से पत्रावली दिनांक 9-12-25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

9/12/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा ओटोरिफा पर Nonpress का अकेन मुर एस वाद को और आगे नही पत्रावली की इच्छा जाहिर की। अतः वाद वादी Nonpress से खारिज सिद्धि किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार हो मुर वाद नुमीन नरर से मुर हो मुर फाखिल दन्तर हो।

सुशीला
Date 9-12-25
एच वाद के इन्ज
यादी वकील
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)